प्रथम अपील अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम
एवं जिला कलक्टर उदयपुर
निर्णय द्वारा अध्यासित गौरव अग्रवाल आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः **83/2026** (अपील सूचना का अधिकार)

Ajit Dangi Add: Rahtan Nandwel, Naharmagra, Dabok, Udaipur

..............अपीलार्थी

बनाम

सहायक लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी मावली, उदयपुर

..................प्रत्यर्थी

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 15/05/2026

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक अपील ऑनलाईन क्रमांक 329428032097619 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि एक ऑनलाईन प्रार्थना पत्र दिनांक 18.02.2026 को प्रत्यर्थी के कार्यालय में प्रस्तुत कर सूचना चाही गई। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने से क्षुब्ध होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पर जवाब तथा सूचना उपलब्ध कराने हेतु ऑनलाईन पत्र क्रमांक 3931251152 दिनांक 23.03.2026 एवं कार्यालय के पत्रांक रीडर/सू.अ.2005/प्रथम अपील/83/26/459–60 दिनांक 23.03.2026 से लिखा गया। प्रत्यर्थी द्वारा ना तो कोई प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया गया ना ही वे स्वयं या उनके प्रतिनिधि वक्त सुनवाई उपस्थित हुए।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी द्वारा दिनांक 18.02.2026 को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन में मांगी गई सूचनाएँ मुख्यतः स्पष्टीकरण, कारण बताओ, मत/व्याख्या तथा अनुमान आधारित प्रश्नों से संबंधित हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अनुसार केवल वह सूचना प्रदान की जा सकती है जो अभिलेखों में विद्यमान हो। किसी लोक प्राधिकारी को न तो नए सिरे से सूचना तैयार करने का दायित्व है और न ही स्पष्टीकरण, कारण या व्याख्या प्रदान करना अधिनियम के अंतर्गत अनिवार्य है। प्रकरण में मांगी गई सूचनाओं जैसेः निरीक्षण किस आधार पर किया गया, अधिकारियों द्वारा दिए गए कथनों/धमकी का आधार, कथनों को रिकॉर्ड न करने का कारण, आर्थिक नुकसान से संबंधित नियमों का विश्लेषण। ये सभी प्रश्न स्पष्टीकरण/मत/व्याख्या की श्रेणी में आते हैं, जो सूचना की परिभाषा धारा 2(f) के अंतर्गत नहीं आते हैं, जब तक कि वे अभिलेखों में स्पष्ट रूप से उपलब्ध न हों। साथ ही, अपीलार्थी द्वारा मांगी गई कुछ सूचनाएँ ऐसी हैं जो व्यक्तिगत आरोपों एवं शिकायतों के स्वरूप में हैं, जिनका निवारण सूचना का अधिकार

प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर, उदयपुर

Signature valid
Digitally signed by Gaurav Agrawal
Designation : Collector & District Magistrate
Date: 2026.05.15 12:10:50 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 22238809
M e-Sign

अधिनियम के माध्यम से नहीं किया जा सकता, बल्कि इसके लिए सक्षम प्राधिकारी के समक्ष पृथक रूप से परिवाद/शिकायत प्रस्तुत की जानी चाहिए। अपीलार्थी को मांगी गई सूचना उपलब्ध कराना अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप संभव नहीं है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(1) के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

(गौरव अग्रवाल)
प्रथम अपील अधिकारी,
सूचना का अधिकार अधि. एवं
जिला कलक्टर, उदयपुर

Signature valid
Digitally signed by Gaurav Agrawal
Designation : Collector & District Magistrate
Date: 2026.05.15 12:10:50 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
22238809
M e-Sign